राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(ग्रामीण विकास अनुभाग–1)

क्रमांक : एफ 2(1) ग्रावि/ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक : - 2 AUG 2017

– विज्ञप्ति –

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के ग्रामीण विकास मुख्यालय में राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1975 एवं संशोधित नियम, 2013 के तहत उनके सामने अंकित योग्यता एवं अनुभवी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर (1) परियोजना निदेशक (2) परियोजना अधिकारी(अभियांत्रिकी) के पदों पर विशेष चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2017 तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

नोटः–उक्त नियम के अन्तर्गत चयनित समस्त अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में उनकी सेवावधि के दौरान उनके मूल वेतन के 15% की दर से विशेष भत्ता नियमानुसार संदत किया जायेगा ।

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये परन्तु आवेदित पद पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन पहले से विशेष चयन पर कार्यरत अधिकारी 55 वर्ष की आयु तक पात्र होंगे। इन पदों पर विशेष चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र सेवायें, न्यूनतम योग्यता एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित होना आवश्यक है। विशेष चयन के पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

(सीमा सिंह)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी के पद पर विशेष चयन हेतु पात्र सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम एवं उपलब्ध पद	सेवा का नाम	न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1.	परियोजना निदेशक (2 पद)	राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी	वेतन बैंड सं. 3 (15600–39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 20 (7600/– रु.)
2.	परियोजना अधिकारी (अभियात्रिकी) (3 पद)	(क) राजस्थान अभियन्ता सेवा (i) लोक निर्माण विभाग (ii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (iii) जल संसाधन विभाग (ख) राजस्थान कृषि सेवा (अभियांत्रिकी विंग) (i) कृषि विभाग (अभियांत्रिकी विंग) (ii) जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग (अभियांत्रिकी विंग) (ग) राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सेवा (घ) राजस्थान वन सेवा (रा.व.से.)	सहायक अभियन्ता (डिग्रीधारक) (सहायक अभियन्ता के रूप में 3 वर्ष के अनुभव सहित) सहायक वन संरक्षक साथ में 3 वर्ष का अनुभव।